



ज अदालत
 पवन कुमार बहादुर सिंह
 वनाम श्री करणपुर
 किस्म मुकदमा 136 LRAA नं. 34 सन् 2018
 03-05-2018

तारीख हुक्म 5-2018	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>राजस्व लोक अदालत म्याय आपके द्वार अभियान 2018 कैम्प फूसेवाला में प्रार्थी पवन कुमार पुत्र बहादुर सिंह जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला के द्वारा प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 2एम के मु0 नं0 42 में 0.594 है0 नहरी रकबा राजस्व रिकार्ड में पवन कुमार पुत्र बहादुर राम जाति कुम्हार साकिन फूसेवाला के नाम से दर्ज है। यह रकबा प्रार्थी के द्वारा खरीद किया गया है। बैयनामा में प्रार्थी का नाम पवन कुमार पुत्र बहादुर सिंह जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला दर्ज है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में यही नाम अंकित है। जबकि जमाबंदी में ऊपर वर्णित अनुसार गलत दर्ज है जिसे सही करने की कृपा करे। इस संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत फूसेवाला के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि पवन कुमार पुत्र बहादुर सिंह व पवन कुमार पुत्र बहादुर राम दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। सही नाम पवन कुमार पुत्र बहादुर सिंह है।</p> <p>प्राप्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं कैम्प कोर्ट में मजमेआम से जानकारी प्राप्त की गयी। मजमेआम से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी का सही नाम पवन कुमार पुत्र बहादुर सिंह जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में भी यही नाम अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा अपने प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का सही नाम पवन कुमार पुत्र बहादुर सिंह अंकित किया है।</p> <p>उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 2एम की जमाबंदी संवत 2069 ता 72 के खाता सं0 43/36 के मु0 नं0 42 में अंकित नाम पवन कुमार वल्द बहादुर राम जाति कुम्हार साकिन देह के स्थान पर पवन कुमार पुत्र बहादुर सिंह जाति कुम्हार साकिन देह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। आदेश इसी आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।</p>	  <p>उपरोक्त अधिकारी राजस्व श्रीकरणपुर (श्री गणेशपुर) श्री करणपुर</p>